

37



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / निग / अशोकनगर / भू.रा. / 2017 /

III | निगरानी | अशोकनगर | भू.रा. | 2017 | 35-69

आवेदन पत्र संख्या

दिनांक

आवेदनकर्ता का नाम

श्री. राजेश सिंह यादव

तारीख दिनांक 28/09/17 को प्रस्तुत

आवेदन पत्र संख्या 35-69-17

गिरवरदास पुत्र श्री हीरालाल, आयु 90 वर्ष निवासी ग्राम देवरछी, तहसील मूंगावली जिला अशोकनगर (म0प्र0)

--- आवेदक ---

बनाम

1. शैतानसिंह पुत्र श्री महीपसिंह यादव, निवासी ग्राम देवरछी, तहसील मूंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)
2. राजबाई पुत्री महीपसिंह यादव, निवासी ग्राम बामोरीटांका तहसील मूंगावली जिला अशोकनगर (म0प्र0)
3. अवधबाई पुत्री महीपसिंह यादव, पत्नी नन्दलालसिंह यादव, निवासी ग्राम तरखाना तहसील मूंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)
4. गुडडीबाई पुत्री महीपसिंह यादव पत्नी सियाराम यादव, निवासी ग्राम बामोरीटांका तहसील मूंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)
5. बिन्नीबाई पुत्री महीपसिंह यादव, पत्नी राम यादव, निवासी ग्राम मदरुखेडी, तहसील मूंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

--- अनावेदकगण ---

राजेश सिंह यादव  
28/09/17  
CF-4-10-17

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के विरुद्ध आदेश दिनांक 16.08.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना मूंगावली, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 74/अपील/2014-15 से दुखित होकर।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/3569

गिरवरदास विरुद्ध शैतानसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभियोगों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना मुगावली, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक:- 74/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16/08/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(आर0के0 जैन) 17/6/19</p> <p>सदस्य</p>	